POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 05.02.2025

1. SWAT टीम व थाना दनकौर पुलिस द्वारा भारत के विभिन्न राज्यो में धर्म काटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप व रिमोट द्वारा वजन में घटतौली करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.02.2025** को SWAT टीम व थाना दनकौर पुलिस के संयुक्त प्रयास से भारत के अलग-अलग राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक) में धर्मकांटो पर तुलने वाले सामान (सरिया, बदरपुर, रोड़ी इत्यादि) के वजन को इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर रिमोट के माध्यम से अपनी इच्छा के अनुसार तौलने वाले 04 अभियुक्त 1.कपिल कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह 2.मनमोहन सिंह पुत्र रतिराम सिंह 3.विनय कुमार शर्मा पुत्र उमेश शर्मा 4.धीरज शर्मा पुत्र हरिनन्दन शर्मा को थाना दनकौर क्षेत्र के सलारपुर अन्डरपास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाटों में चिप लगाकर रिमोट के जरिये वजन को अपनी मनमाफिक कम व ज्यादा तौला जाता था। अभियुक्तगण द्वारा अभी तक इलेक्ट्रॉनिक चिपो को बेचकर करीब 50 लाख रूपये कमा चुके है तथा बरामदा चिपो की कीमत करीब 70 से 75 लाख रूपये है, जिसके अलावा चिपो को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व अन्य सामान बरामद किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रूपये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक) में धर्मकाटों में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाकर रिमोट के जरिये वजन की घटतौली करने के लिये धर्मकाटों के मालिक को मोटे पैसो का लालच देकर उनके धर्मकाटों में कनेक्टिक वायर के जरिये चिप कनेक्ट करके अपने दिये हुये रिमोट के द्वारा वजन को घटतौली करना। जिससे मोटा पैसा कमाना तथा जन मानस व कम्पनियों को लाखो रूपये का चूना लगाकर मुनाफा कमाना।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त कपिल द्वारा बताया गया कि कुछ समय पूर्व मैं, विनय कुमार शर्मा और धीरज शर्मा से ऑनलाईन इन्डिया मार्ट के जरिये सम्पर्क में आया था जिससे मैने धर्म काटों में घटतौली करने के लिये एक चिप तैयार करायी थी जिसे हम धर्म काटों में लगाकर वजन करने के दौरान रिमोट से कन्ट्रोल करके तौल के वास्तविक वजन से कम दिखाते थे। एक चिप को तैयार कराने में 10 से 20 हजार का खर्चा आता है जिसे हम 05 से 10 लाख रूपये में धर्म काटों वालो को विभिन्न राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक) में बेच देते थे। मेरे रिश्ते का जीजा मनमोहन सिंह भी यही काम करता है। अभियुक्त मनमोहन सिंह ने बताया कि कपिल रिश्ते में मेरा साला लगता है मै और कपिल दोनो मिलकर धर्म काटों में चिप लगाकर घटतौली

करने के लिये चिप बनाकर बेचते है। जो हम इन्डिया मार्ट साईट पर मिले विनय कुमार शर्मा व धीरज शर्मा के माध्यम से तैयार कराते है। जिसके एवज में हम उन्है पैसा देते है। विनय शर्मा ने बताया कि वह डी.ई.एच.एन कम्पनी मानेसर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पद पर तैनात है। मैने इन्डिया मार्ट साइट पर अपनी प्रोफाइल बनायी थी। जिसमें लोग मुझसे सम्पर्क करके अपना काम कराते थे। इसी साइट पर कपिल व मनमोहन ने मुझसे सम्पर्क किया था। मुझसे बात करके धर्मकाटों में घटतौली करने के लिये चिप बनाने की बात की । तब मैने इन्हे धर्मकाटों की घटतौली की चिप व रिमोट तैयार करके दिये थे। कपिल और मनमोहन चिप की सप्लाई अच्छे दामो में स्क्रैप माफिया, सरिया माफिया, बिल्डिग मेटेरियल माफिया आदि लोगो को भी करते थे। जिससे स्क्रैप माफिया व सरिया माफिया अच्छा मुनाफा कमाते थे और हमें अच्छा रूपया मिलता था। जिससे ये लोग जन मानस व कम्पनियों को लाखो रूपये का चूना लगाकर मुनाफा कमाते थे। जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 318 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तों का विवरण--

1- कपिल कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी मुख्तयारपुर थाना इन्चौली जिला मेरठ वर्तमान पता न्यू अशोक नगर दिल्ली।
2- मनमोहन सिंह पुत्र रतिराम सिंह निवासी ग्राम धनसूरपुर, थाना स्याना, जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता मन्डौली, थाना हर्षबिहार, दिल्ली।
3- विनय कुमार शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ग्राम मुर्दवा थाना पीपली जिला सोनभद्र वर्तमान पता प्रथम तल सेक्टर-1, आईएमटी चौक मानेसर गुरूग्राम हरियाणा।
4- धीरज शर्मा पुत्र हरिनन्दन शर्मा निवासी ग्राम रामपुर थाना श्रीरामपुर जिला देवरिया वर्तमान पता सेक्टर-1, आईएमटी चौक मानेसर गुरूग्राम हरियाणा।

बरामदगी का विवरण--

1-67 रिमोट

2-30 इलेक्ट्रॉनिक चिप

3-01 डेस्कटॉप (सीपीयू, मानीटर, कीबोर्ड ,माउस)

4-02 यूपीएस (माइक्रोटेक)

5-01 लैपटॉप (डैल)

6-01 फेडमैन किट सेट

7-08 लोड सैल ट्रान्सड्यूसर

8-05 वेट इन्टीकेटर

9-01 कीबोर्ड

10-04 माऊस

11-01 सोल्डर मशीन

12-08 बैटरी केस

13-04 पावर कौड

14-01 लैपटाप चार्जर (डैल)

15-01 मोहर

16-03 ब्लैक टेप

17-01 एचडीएमआई केबल

18-01 यूएसबी केबल

19-01 पावर सप्लाई केबल

20-10 गीगा टेक सेल

21-05 जी0पी0 हाई बोल्टेज बैटरी

22-06 सेल

23-08 बैटरी

24-01 सोल्डर वायर

25-02 कनेक्टिग वायर

26-03 कनेक्टिग वायर

27-01 वायर कनेक्टर

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 27/2025 धारा 318 भारतीय न्याय संहिता थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2. थाना दादरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे वांछित/25 हजार रूपये का ईनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **05.02.2025** को थाना दादरी पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित अपराधियो / वांछित अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अभियोग मे वांछित/25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त पवन भाटी पुत्र सतीश भाटी निवासी ग्राम बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष को बढपुरा के नाले की पुलिया से **गिरफ्तार** किया गया।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त द्वारा अपनी गैंग के साथ मिलकर लूट, हत्या का प्रयास आदि घटनाए कर अवैध धन अर्जित करना।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

पवन भाटी पुत्र सतीश भाटी निवासी ग्राम बढपुरा थाना दादरी गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0048/2025 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 1068/2023 धारा 392/411/120बी भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 1073/2023 धारा 307/411 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 0482/2023 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 0481/2023 धारा 392/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
6. मु0अ0सं0 0477/2023 धारा 392/411 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 0059/2016 धारा 394/411/420 भादवि थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 0053/2016 धारा 414 भादवि थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 0054/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर।
10. मु0अ0सं0 0172/2016 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना इकोटेक-3 गौतमबुद्धनगर।
11. मु0अ0सं0 0439/2020 धारा 307/323/393/120बी भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
12. मु0अ0सं0 0527/2016 धारा 394/411/120बी भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
13. मु0अ0सं0 0512/2016 धारा 379 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।
14. मु0अ0सं0 0526/2024 धारा 392/411/34 भादवि थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।
15. मु0अ0सं0 0572/2024 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नन्दग्राम गाजियाबाद।
16. मु0अ0सं0 0603/2023 धारा 392/397/34 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना आनन्द विहार, दिल्ली।